प्रेस नोट- दिनांक- 07.10.2024, जनपद प्रतापगढ़

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के दिए गये थे सख्त निर्देश

अवैध रूप से पटाखा निर्माण/ व्यापार कर रहा 01 पटाखा व्यापारी गिरफ्तार

थाना अंतू पुलिस द्वारा आरोपी को दुकान व घर में भारी मात्रा में भण्डारण/ निर्माण करके बेचने के लिए रखे अवैध आतिशबाजी पटाखों के साथ धर दबोचा

चेकिंग के दौरान FSSO व थाना अंतू पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोबरी बाजार के आगे में दुकान व घर में भण्डारण करके बेचे जाने के लिए रखे अवैध पटाखा बरामद

सात बोरी व एक कार्टून में लगभग कुल 90 कि0ग्राम निर्मित/ अर्द्धनिर्मित अवैध पटाखा बरामद

आगामी त्योहार दशहरा, दीपावली के लिए भारी मात्रा में पटाखा व फुलझड़ी आदि का भण्डारण करके रखा था अभियुक्त

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गया है। अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के निकट पर्यवेक्षण में FSSO श्री अतुल त्रिपाठी, फायर मैन अमित सिंह, फायर मैन चालक सतीष पाल एवं थाना अंतू के उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 प्रदीप कुमार, का0 विक्रम कुमार, का0 नागेन्द्र यादव, म0का0 दीपिका त्रिपाठी, चालक का0 अजय चौहान द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान,

प्राप्त सूचना पर दिनांक 06.10.2024 को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोबरी में दुकान व घर में भारी मात्रा में भण्डारण करके बेचने/ बनाने के लिए रखे तीन बोरी व एक कार्टून निर्मित अतिशबाजी पटाखा वजन करीब 40 किग्रा व चार बोरी अर्धनिर्मित अतिशबाजी पटाखा वजन करीब 50 क्रिग्रा0 के साथ 01 अभियुक्त, बन्ने पुत्र स्व0 भोला निवासी ग्राम कंसापुर गोबरी थाना अन्तू प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त बन्ने पुत्र स्व0 भोला उपरोक्त के कब्जे से कुल सात बोरी व एक कार्टून में लगभग कुल 90 कि0ग्राम निर्मित/ अर्द्धनिर्मित अवैध पटाखा बरामद हुआ है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 553/24 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम बन्ने के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से इतनी मात्रा मे निर्मित व अर्ध निर्मित अतिशबाजी पटाखे रखने का, निर्माण करने का, भण्डारण करने का लाईसेन्स मांगने पर नही दिखा सका तथा बताया कि मै अपने घर/ दुकान के पास निर्माण, भण्डारण, विक्रय करता हूँ। निकट भविष्य में दशहरा व दीपावली आने वाले त्यौहार पर बेचने के लिये मकान के सामने यहीं पर इकट्ठा कर रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त बन्ने पुत्र स्व0 भोला निवासी ग्राम कंसापुर गोबरी थाना अन्तू प्रतापगढ़।

संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

पुलिस टीम- उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 प्रदीप कुमार, का0 विक्रम कुमार, का0 नागेन्द्र यादव, म0का0 दीपिका त्रिपाठी मय चालक का0 अजय चौहान थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

अग्निशमन टीम- FSSO श्री अतुल त्रिपाठी, फायर मैन अमित सिंह, फायर मैन चालक सतीष पाल जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्माण/ भण्डारण व परिवहन पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संख्त कार्यवाही की जायेगी। लाइसेंस धारक विस्फोटक पदार्थ निर्माण/भण्डारण व परिवहन का नियत स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन करें।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल व फर्जी नम्बर प्लेट के साथ 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार

चेकिंग के दौरान चोरी की 01 अदद मोटर साईकिल स्प्लेण्डर प्लस व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद बरामद

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुमाऊ पुल पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दिलीपपुर श्री दिवाकर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 राजबहादुर सिंह व का0 विनोद कुमार व का० जगदीश प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत हुमाऊ पुल के पास से 01 अभियुक्त अरमान पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अरमान के कब्जे से एक मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस व एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद किया गया।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया साहब जो यह मेरे पास मो0सा0 है वह चोरी की मो0सा0 है मैने यह मो0सा0 थाना को0 नगर प्रतापगढ क्षेत्र से चुरायी थी और इस मो0सा0 का नम्बर प्लेट बदलकर चला रहा था कि कोई मुझे पकड न ले। और बताया कि साहब मेरे पास उक्त मो0सा0 से सम्बन्धित कोई कागजात मौजूद नही है।

उपरोक्त अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साईकिल व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद किया गया। उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 168 / 2024 धारा 317(2), 318(4), 336(2), 336(3), 340 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अरमान पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त अरमान पुत्र मोहर अली निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 39/20 धारा 147/148/323/504/506/286 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 84/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

03. मु0अ0सं0 168/24 धारा 317(2)/318(4)/336(2)/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी- एक मोटर साइकिल स्प्लेण्डर प्लस व एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 सुरेश कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 राजबहादुर सिंह व का0 विनोद कुमार व का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

फर्जी पैकिंग कर फर्जी लोगो लगाकर अवैध शराब का भण्डारण/बेचने के प्रकरण में शातिर 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री संतोष सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा फर्जी पैकिंग कर फर्जी लोगो लगाकर अवैध शराब का भण्डारण/बेचने के वाला शातिर 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत निमा नहर पुलिया के पास से किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.10.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजन बिन्द, हे0का0 यशवन्त राठौर, का0 राकेश सरोज द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा के मु0अ0सं0-39/16 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि व 63/65 कॉपी राइट एक्ट व 60 आबकारी अधिनियम में वाछिंत अभियुक्त शिवनाथ यादव पुत्र टिहुरी निवासी देवरखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत निमा नहर पुलिया के पास से को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में में बताया कि साहब 2016 में हम अपने साथी कपिल यादव, महेश निषाद, मनोज कहार, लल्लू गुप्ता, ध्रुव सिंह, शोभानाथ गौतम के साथ मिलकर दूसरे प्रदेश से शराब मगवाकर उस पर फर्जी रैपर लगाकर सप्लाई किया करते थे जिसकी सूचना पर पुलिस ने हमारे घर से काफी मात्रा में शराब बरामद कर लिया गया था। पुलिस द्वारा मेरे घर पर बार-बार दबिश दी जा रही थी। आज पैसा लेने के लिये अपने घर आ रहा था पेट में दर्द होने का कारण में पुलिया पर बैठ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- शिवनाथ यादव पुत्र टिहुरी निवासी देवरखा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजन बिन्द, हे0का0 यशवन्त राठौर, का0 राकेश सरोज द्वारा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।